

ए सी जी-17

भारतीय डाक-तार विभाग

A.C.G.-17 Indian Posts And Telegraphs Department

[डाक-तार वित्तीय नियम पुस्तिका ; खण्ड 1 द्वितीय संस्करण दूसरा पुनर्मद्रण परिशिष्ट 11 के नियम 6 ख के नीचे की टिप्पणी देखें]

[See Note below Rule 6(b) of Appendix II to Posts and Telegraphs Financial Handbook, Volume I (2nd Edition, 2nd Reprint)]

रसीद/Receipt

तारीख _____ 19

वाउचर सं _____

Date _____ 19

Voucher No.

Received from _____ से the sum of Rupees

_____ रु की
राशि

_____ on
account

of _____ के कारण प्राप्त
की

रु/Rs _____

गवाहीशुदा भुगतान /Witnessed Payment

गवाह के हस्ताक्षर

Signature of witness

पाने वाले के हस्ताक्षर

Signature of payee

टिप्पणी—यदि रसीद को अंग्रेजी/ हिन्दी में न लिखा गया हो या उस पर अंग्रेजी/ हिन्दी में हस्ताक्षर न किये गए हों तो उस सम्पूर्ण को या उसके किसी भाग को जिसे अंग्रेजी/ हिन्दी में न हो भुगतान करने वाला अधिकारी उसका लिप्यंतरण करे ! जो व्यक्ति इस रसीद पर हिन्दी में हस्ताक्षर करे उसे अपने हस्ताक्षरों के नीचे कोष्ठक में स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम लिखना चाहिए !

Note:- If the receipt be not written or not signed in English/Hindi the whole or the portion not in English/Hindi must be transliterated by the paying officer. A person signing such receipt in Hindi should be required to indicate his full name in block letters within brackets below his signature.

जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाए यदि वह हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो भुगतान करने वाला अधिकारी उस भुगतान को प्रमाणित करे तथा उसके लिए कम से कम एक गवाह हो !

If the person paid cannot sign, the payment must be certified by the Paying Officer and at least one witness.

यदि भुगतान की गई रकम 20 रु से अधिक हो तो बीस पैसे का रसीदी टिकट लगाना चाहिए और इस टिकट का भुगतान पाने वाले को करना चाहिए !

If the amount paid be more than Rs.20/- a receipt-stamp of Twenty Paise must be affixed and this stamp must be paid by the person to whom the amount of receipt is paid.

1. प्रमाणित किया जाता है कि वाउचर में अंकित रकम सही व्यक्ति को संवितरित कर दी गई है !

1.Certified that the amount included in the voucher has been disbursed to the proper person.

भुगतान कर्मचारी
Paying Official

प्रतिहस्ताक्षरित
Countersigned

संवितरण अधिकारी
Disbursing Officer

2 कागजात प्राप्त हुए और यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं स्वयं उससे संतुष्ट हो गया हूं कि उन अग्रिमों को छोड़कर जिनका ब्योरा (जिसका योग इस रसीद से वापस कर दिया गया है) नीचे दिया है आज की तारीख से पूर्व 1 महीना/ 2 महीने/ 3 महीने में निकाले गए रसीद फार्म ए सी जी-12 में दिए गए सभी अग्रिमों का सही व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया है और उनके वेतन चिट्ठे से लिए गए हैं और 20/रु से अधिक के प्रत्येक भुगतान के लिए रसीदी टिकट विधिवत रद करके मेरे कार्यालय में फाईल कर दिए हैं !

2. Received contents and certified that I have satisfied myself that all advances included in receipt form A.C.G.-17 drawn 1 month/2 months/3 months previous to this date with the exception of those detailed below (of which the total has been refunded from this receipt) have been disbursed to the proper persons and that their acquittances have been taken and filed in my office with the receipt stamps duly cancelled for every payment in excess of Rs.20/-.

तारीख
Date

संवितरण अधिकारी
Disbursing Officer.